न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः–श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–289/2016/225 (2016/00289)

1. भारमल दत्तक पुत्र राजू, पौत्र स्व0 दूदा, जाति रावत, निवासी ग्राम मियापुर, तह0 व जिला अजमेर ।

2. धर्मा पुत्र स्व0 माला पौत्र स्व0 जवारा, जाति रावत, नि0 ग्राम मियापुर, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवर पुत्र गुमाना, जाति रावत,
2. लाडू पुत्र गुमाना, जाति रावत,
3. श्रीमती हंजा पत्नी रतन पुत्री गुमाना, जाति रावत,
   समस्त निवासी ग्राम मियापुर, तह0 व जिला अजमेर ।
4. शंकर पुत्र बोदू, जाति रावत, नि0 हाल मदारपुरा, तह0 व जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः–
   4/1– ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 शंकरसिंह,
   4/2– कालूसिंह पुत्र स्व0 शंकरसिंह,
   4/3– सांवरसिंह पुत्र स्व0 शंकरसिंह
   4/4– गुलाबसिंह पुत्र स्व0 शंकरसिंह
   4/5– नानूसिंह पुत्र स्व0 शंकरसिंह
   4/6– सोनू पुत्र स्व0 शंकरसिंह
   4/7– मीरा पुत्री स्व0 शंकरसिंह
   4/8– गुमानी पुत्री स्व0 शंकरसिंह
   4/9– लक्ष्मीण पुत्री स्व0 शंकरसिंह
   4/10– बीरी पुत्री स्व0 शंकरसिंह
   4/11– हीरी पुत्री स्व0 शंकरसिंह
   समस्त जाति रावत, निवासी माखुपुरा नाडी, तहसील व जिला अजमेर।
5. शेतानी पत्नि फूलसिंह, जाति रावत, हाल नि0 माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
6. रमेश पुत्र फूलसिंह जाति रावत, नि0 हाल माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
7. श्रीमती नेती पत्नि गोपी पुत्री बोदू (मृतक) जरिये वारिसानः–
   7/1– लालसिंह पुत्र श्रीमती नेती पत्नि गोपीसिंह,
   7/2– सज्जनसिंह पुत्र श्रीमती नेती पत्नी गोपीसिंह,
   7/3– धनसिंह पुत्र श्रीमती नेती पत्नी गोपीसिंह,
   7/4– श्रीमती शांति पुत्री श्रीमती नेती पत्नी गोपीसिंह,
   7/5– श्रीमती शारदा पुत्री श्रीमती नेती पत्नी गोपीसिंह,
   समस्त निवासी हाल माखुपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।
8. श्रीमती जेती पत्नी देवीसिंह पुत्री बोदू, जाति रावत, नि0 ग्राम तिलोरा, तह पुष्कर, जिला अजमेर ।
9. श्रीमती नर्बदा पत्नी लक्ष्मण पुत्री बोदू, जाति रावत, निवासी ग्राम बीर, तह. व जिला अजमेर ।
10. मेघा पत्नि श्रवणसिंह पुत्री बोदू, जाति रावत, नि0 ग्राम भवानीखेड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
11. श्रीमती धन्नी पत्नि बोदू, जाति रावत, नि0 ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर । (मृतक–नाम तर्क)
12. कोटक महेन्द्रा बैंक लिमि0 जरिये प्रबंधक, कचहरी रोड़, अजमेर, अजमेर

टॉवर, जिला अजमेर ।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर दिनांक 11.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 181/2008.</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 13.
4. रेस्पो0 संख्या 7 से 10 व 12 अनुपस्थित ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के आदेश दिनांक 11.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन भूमि जो कि ग्राम ककलाना, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है के खातेदार राजू पुत्र दूदा एवं जवारा पुत्र दूदा थे जिसमेकं वादी संख्या 1 राजू का पुत्र है एवं वादी संखय 2 जवारा का पोता है । अपीलाधीन भूमि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि है, चौसाला जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 के अनुसार चौसाला खसरा नंबर 849 जो कि वादी संख्या 2 के दादा जवारा पुत्र दूदा के नाम दर्ज है तथा चौसाला खसरा नंबर 851 व 860 के वादी संख्या 1 के पिता राजू एवं वादी संख्या 2 के दादा जवारा के नाम दर्ज थी तथा चौसाला जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के अनुसार भी खातेदार दर्ज है तथा चौसाला खसरा नंबर 860 व 861 भी वादी संख्या 1 के पिता राजू एवं वादी संख्या 2 के दादा जवारा के नाम दर्ज है । पुश्तैनी समय से काबिज है, अपीलाधीन भूमि के एक भाग पर राजू व जवारा के द्वारा चाह भी खुदवाया गया है एवं उनके जीवनकाल तक निरन्तर काश्त की जाती रही है तथा इनके स्वर्गवास के बाद वादीगण/अपीलांटस ही विधिक एवं भौतिक काबिज काश्त चले आये है परन्तु चौसाला जमाबंदी के इंद्राज के प्रतिकूल वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है । इस कारण वादीगण के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 11.7.2016 को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि जिसके

वादी संख्या 1 के पिता राजू एवं वादी संख्या 2 के दादा जवारा चौसाला जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 एवं 2020 से 2023 के अनुसार शिकमी खातेदार दर्ज है कि जिन्हें राज0काश्त0अधि0 1955 जो कि अजमेर जिले मे ंदिनांक 15.6.1958 को प्रभाव में आया के रोज एवं इससे पूर्व तथा इसके पश्चात् निरन्तर काबिज रहे, विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार खातेदार हो चुके थे तथा विवादित भूमि के एक भाग पर चाह भी खुदवाया गया कि इनके स्वर्गवास के बाद वादीगण का ही भौतिक एवं विधिक कब्जा काश्त चला आया है । इस संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली पर दस्तावेज पेश किये गये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि प्रतिवादीगण का कोई, हक, अधिकार सरोकार कब्जा ही नहीं है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विचाराधीन है ऐसी अवस्था में विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार वाद के विचाराधीन रहते अपीलाधीन भूमि की सुरक्षा एवं अपीलांटस के अधिकारों की रक्षा हेतु धारा 212 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाना चाहिये था । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश विधि के प्रतिकूल पारित किया है । अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के द्वारा भी अपील संख्या 2/2012 भारमल व अन्य बनाम भंवर व अन्य में भी आदेश दिनांक 2.1.2012 के अनुसार अपीलाधीन भूमि वादीगण की बापोती पुश्तैनी मानते हएु आदेश पारित किया गया कि मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे एवं किसी अन्य को बेचान, हस्तातंरण नहीं की जावे किन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.7.2016 नियत थी से पूर्व ही दिनांक 11.7.2016 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । अधी0न्याया0 ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट संख्या 2 को कोई सूचना नहीं दी एवं अपीलांट संख्या 1 अनपढ़ कृषक है जिसके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिये जबकि अपीलांट संख्या 1 ने प्रकरण मे बहस हेतु समय बाबत् निवेदन किया था । बहस में यह भी कथन किया कि प्रकरण में मदन पुत्र बोदू का स्वर्गवास हो चुका था जिनके वारिसान को पत्रावली पर रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.2.2013 को प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन था । आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 जा0दी0 को निर्णित किये बिना ही एवं वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया हैजो कि विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु के संबंध में अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय मे ंकोई विवेचन नहीं किया जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त यिका जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी रेस्पो0 के नाम दर्ज होकर काबिज काश्त है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्ड काबिज खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 11.7.2016 में वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों का एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख का विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही आदेश पारित किया गया है । हस्तगत प्रकरण नियत दिनांक 25.7.2016 से पूर्व ही लोक अदालत में रखकर दिनांक 11.7.2016 को अभिभाषकों एवं प्रार्थी संख्या 2 धर्मा पुत्र माना की अनुपस्थिति में निर्णित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4/4 मदन पुत्र बोदू का स्वर्गवास हो जाने के कारण वादी/प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपिठत धारा 151 जा0दी0 दिनांक 21.2.2013 को प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं मृतक मदन पुत्र बोदू के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.7.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । न्यायहित में उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक विवादित आराजियात को रहन, बैचान, हस्तातंरण नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर